संख्या:508/2023/1195/35-4-2023

प्रेषक,

डॉ0 संजीव भारद्वाज,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
मेरठ/मुजफ्फरनगर।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक: 29 मार्च, 2023

विषय: वित्तीय वर्ष 2022-23 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि त्वरित आर्थिक विकास योजनान्तर्गत जनपद-मेरठ/मजफ्फर नगर में निम्नलिखित कार्यों की रू. **496.99** लाख की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए रू. **496.99** लाख (रूपये चार करोड़ छियानबे लाख निन्यानबे हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर निम्नांकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। इन कार्यों के लिये ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग कार्यदायी संस्था होगी:-

(लाख रूपये में)

	कार्य का नाम	**लम्बाई (मी0)**	**अनुमोदित लागत**	**अवमुक्त धनराशि**
जनपद-मुजफ्फरनगर के कार्य				
1.	ग्राम टबिटा में सरकारी स्कूल से शमशान घाट की ओर इण्टरलॉकिंग टाईल्स कार्य।	300	15.20	15.20
2.	ग्राम भन्डूर में प्रदीप के मकान से मधु शर्मा तथा शिव चरण के मकान से धर्मवीर पाल के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य।	300	18.15	18.15
3.	ग्राम समोली में सुबोध पुत्र ईशम के मकान से मेन रास्ते पर जयवीर पाल की ओर व सतपाल के मकान से देवेन्द्र के मकान की ओर इण्टरलाकिंग कार्य।	300	22.04	22.04
4.	ग्राम मुजाहिदपुर भूपखेडी में मुजाहिदपुर के नये पुल से सुशील मास्टर के मकान की ओर व माण्डी वाले पुल से दयाराम मकान की ओर इण्टरलाकिंग कार्य।	300	14.81	14.81
5.	ग्राम गदनपुरा में मुख्य सम्पर्क मार्ग से शमशान की ओर तथा मेन रोड पर कृष्ण पुत्र राजपाल के मकान से मित्तल पुत्र कालिया के मकान की ओर इण्टरलॉकिंग कार्य।	300	14.81	14.81
6.	ग्राम रसूलपुरा कैलोरा में राजवीर सैनी के मकान से रणवीर के मकान तक तथा छोटा रसूलपुर में मन्दिर से बड़े रसूल पुर की ओर इण्टरलॉकिंग कार्य	300	15.73	15.73
7.	ग्राम महलकी में मुख्य सम्पर्क मार्ग से राजेश प्रधान के मकान तक तथा शिव मन्दिर के सामने से रविन्द्र डीलर के मकान की ओर इण्टरलॉकिंग कार्य ।	300	17.89	17.89
8.	ग्राम नूनाखेडा में बलजोर माली से मांगा जुलाहा की ओर एवं कश्यप मन्दिर से रामबीर तक एवं विनोद के मकान से ओमपाल के मकान तक इण्टरलॉकिंग कार्य।	300	12.09	12.09
9.	ग्राम बधाईकला में सम्पर्क मार्ग से शमशान तक तथा सतीश हरिजन के मकान से देवता की ओर सी०सी० रोड निर्माण कार्य।	300	20.55	20.55
10.	ग्राम पीपलशाह में पंचायत भवन से राकेश के मकान तक तथा मौसम के घर से श्रीपाल के घर की ओर तक इण्टरलॉकिंग टाईल्स निर्माण कार्य।	300	19.66	19.66
11.	ग्राम बघरा मणी वाले मन्दिर से शमशान घाट की ओर सी0सी0 रोड निर्माण कार्य।	300	12.19	12.19
12.	ग्राम बिरालसी में कमल के मकान से श्रवण के मकान तक तथा शिवकुमार के मकान से प्राथमिक विद्यालय न0-1 की ओर इण्टरलॉकिंग रोड निर्माण कार्य।	300	12.22	12.22
13.	ग्राम सालाखेडी में सतपाल उपाध्याय के मकान से वेदू के मकान तक तथा कवल सिंह के मकान से मुधुर के मकान तक तथा उदयराज कश्यप के मकान से सतपाल कश्यप के मकान तक तथा श्याम सिंह के मकान से प्रेम लौहार	300	8.70	8.70

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	कार्य का नाम	लम्बाई (मी0)	अनुमोदित लागत	अवमुक्त धनराशि
	के मकान तक इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य।			
14.	ग्राम भौराकलां में राजबीर मैडिकल स्टारे से प्रताप मास्टर जी के मकान तक व मेन रोड से स्टेट बैंक की ओर इण्टरलॉकिंग कार्य।	300	18.55	18.55
15.	ग्राम बरबाला मे मुख्य सम्पर्क मार्ग से ग्राम उत्थान/ ग्राम कल्याण जूनियर हाई स्कूल तथा बाल्मीकि बस्ती में चन्द्रपाल के मकान से मनोज के मकान तक इण्टरलॉकिंग टाईल्स निर्माण कार्य	300	15.28	15.28
16.	ग्राम कितास में इंचौडा - कितास सम्पर्क मार्ग से रामभूल के मकान की ओर व सोमपाल से टीटू निरंजन व सुरेन्द्र से अजय ओमप्रकाश से माहडी (गोरख नाथ जी) की ओर इण्टरलॉकिंग कार्य।	300	15.12	15.12
	योग मुजफ्फरनगर:	**4800**	**252.99**	**252.99**
जनपद-मेरठ के कार्य				
1.	ग्राम बातनोर में महराज के घर से बी0आर0 अम्बेडकर जी की मूर्ति तक तथा नानक सैनी के मकान से छोटे बाल्मीकि के मकान तक इंटरलाकिंग टाइल्स कार्य	315	21.37	21.37
2.	ग्राम पंचायत नेडू में सरकारी समिति से सुभाष के मकान तक एव रतन सिंह के घर से लक्की के घर तक इंटरलाकिंग टाइल्स निर्माण	300	20.64	20.64
3.	ग्राम बडागांव दान्दुपुर मार्ग से शमशान घाट तक सी0सी0 एव रतन सिंह की गली में इंटरलाकिंग टाइल्स एव नाली निर्माण कार्य	304	21.68	21.68
4.	ग्राम महादेव में भूमिया से देवेन्द्र पर्सा के मकान तक एव राजीव गिर के घर से बाल्मिकियो के मंदिर की ओर इंटरलाकिंग कार्य	305	25.40	25.40
5.	ग्राम छाबडिया में डा राजेंद्र के घर से सुखपाल पहलवान के घर की तरफ इंटरलाकिंग एवं लाला जोहरी मॉल के घर से स्व0 श्री महेन्द्र सिंह के मकान तक इंटरलाकिंग कार्य।	300	20.69	20.69
6.	ग्राम अटेरना में महेंद्र के घर से नरेन्द्र के घर की ओर इंटरलाकिंग कार्य।	300	20.39	20.39
7.	ग्राम सलावा में शांति क्रेन क्रेशर के गेट से दुर्गा मंदिर तक इंटरलाकिंग कार्य।	353	21.30	21.30
8.	ग्राम जीतपुर में यशपाल के घर से वेदप्रकाश उपाध्याय के घर तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य।	340	20.72	20.72
9.	ग्राम राडधना में सोनू के घर से डॉ0 वेदप्रकाश के घर तक एवं उमेश पुत्र मंगल के घर से माता वाले तालाब तक इन्टरलाकिंग कार्य।	310	19.08	19.08
10.	ग्राम सकौती में महादेव मंदिर (हरिजन बस्ती) में मील की दीवार से भूषण के मकान तक इन्टरलाकिंग कार्य।	300	17.96	17.96
11.	ग्राम कपसाड में ओमपाल पुत्र गोविन्द के यहां से जय भगवान मास्टर जी के ट्रांसफार्मर तक इंटरलाकिंग कार्य।	300	17.48	17.48
12.	ग्राम दादरी में मजरा नगला सैनी से पुरानी भूमिया खेड़ा तक इन्टरलाकिंग कार्य	300	17.29	17.29
	योग मेरठ:	**3727**	**244.00**	**244.00**
	महायोग (मुजफ्फरनगर+मेरठ)	**8527**	**496.99**	**496.99**

1. स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा जिसके निमित्त स्वीकृत की गयी है तथा किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा एवं व्यय स्वीकृत धनराशि तक सीमित रखा जायेगा।
2. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस हेतु राज्य सरकार, केन्द्र सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं हुई है और न ही यह कार्य किसी अन्य परियोजना/योजना के अंतर्गत अनुमोदित कार्य योजना में सम्मिलित है।
3. निर्माण कार्य को प्रारम्भ करने के पूर्व स्थलीय निरीक्षण के उपरांत वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार विस्तृत आगणन तैयार करते हुए कार्यदायी संस्था द्वारा सक्षम स्तर की तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त की जायेगी।
4. समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स नियमानुसार सक्षम स्तर से प्राप्त करके निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

5. कार्य का निर्माण, लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा। कार्य निर्धारित समय-सीमा अवधि में ही पूर्ण कर लिया जाये तथा भविष्य में प्रायोजना का कोई पुनरीक्षण स्वीकार नहीं होगा। कार्य के लागत आगणन में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन जैसे नये कार्य बढ़ाना, कार्य के आकार एवं मार्ग की लम्बाई में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियॉ इस्तेमाल करना इत्यादि, सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
6. कार्य की भौतिक/वित्तीय प्रगति की समीक्षा जिलाधिकारी द्वारा नियमित रूप से की जायेगी। व्यय/प्रगति सम्बंधी अपेक्षित विवरण उपलब्ध कराने का दायित्व जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी का होगा और उनके द्वारा स्वीकृत कार्य की भौतिक/वित्तीय प्रगति का विवरण नियोजन विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।
7. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्रावधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
8. त्वरित आर्थिक विकास योजना के मार्गदर्शी सिद्धान्तों से संबंधित शासनादेश संख्या-29/2018/1084 /35-4-2018 दिनांक 24 सितम्बर,2018 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
9. प्रश्नगत निर्माण कार्य/व्यय शासन द्वारा स्वीकृत आगणन (प्रतिलिपि संलग्न) के अनुसार किये जायेंगे।
10. ई-टेण्डरिंग/ई-प्रोक्योरमेण्ट प्रणाली लागू किये जाने से सम्बन्धित शासनादेश संख्या- 1067/78-2-2017-42आईटी/2017 दिनांक 12 मई, 2017 तथा शासनादेश संख्या–1107/78-2-2017-42आईटी /2017 दिनांक 12 मई, 2017 एवं तदविषयक शासनादेशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
11. जिलाधिकारी द्वारा निर्माण कार्य को प्रारम्भ कराने के लिए स्वीकृत आगणन के अनुसार उक्त कार्य हेतु अधिकृत कार्यदायी संस्था को कार्यकारी आदेश प्रदान किया जायेगा तथा कार्यकारी आदेश के साथ स्वीकृत आगणन की एक प्रति संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी।
12. अपेक्षित औपचारिकतायें पूर्ण कर जिलाधिकारी द्वारा कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।
13. परियोजनाओं के लिये स्वीकृत धनराशि ब्याज अर्जित करने के उद्देश्य से आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।
14. स्वीकृत की जा रही धनराशि संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से आहरित कर उपलब्ध करायी जायेगी।
15. स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च,2023 तक पूर्ण रूपेण कर लिया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त बचती है तो उसे 31 मार्च, 2023 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव नियोजन अनुभाग-4 को 31 मार्च, 2023 तक प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
16. राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यत: कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून,2023 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा ।
17. कार्य स्थल पर त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने के तथ्य के साथ-साथ मुख्य विवरण शिला पट्टिका/बोर्ड के रूप में जन-साधारण की जानकारी हेतु प्रदर्शित किये जायेंगे।
18. जिलाधिकारी द्वारा समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण कार्य भी सुनिश्चित कराया जायेगा और इसके लिए कार्यदायी संस्था से प्रभावी समन्वय किया जायेगा। कार्य को निर्धारित विशिष्टियों तथा मानकों के अनुरूप गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करते हुए समयबद्ध ढंग से पूरा किया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता में कमी पाये जाने पर कार्यदायी संस्था उसके लिये उत्तरदायी होगी।
19. प्रयोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरादायित्व कार्यदायी संस्था का होगा। कार्यों में प्रयोग की जाने वाली सामग्री/उपकरणों का क्रय सुसंगत स्टोर परचेज नियमों तथा आदेशों के अंतर्गत किया जायेगा।
20. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 07 जून, 2022 में निहित शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
21. यथावश्यक द्विरावृत्ति से बचने के लिए कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व एवं कार्य समाप्ति के पश्चात वीडियोग्राफी भी करायी जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

22. अवमुक्त धनराशि का निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र नियोजन विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जायेगा।
23. प्रयोजनान्तर्गत नियमानुसार 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 अनुमन्य कर दी गई है। जी0एस0टी0 की देयता वास्तविकता के अनुसार होगी तथा कार्यदायी संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी0एस0टी0 सम्मिलित न हो।
24. कार्य से सृजित होने वाली परिसम्पत्तियों का हस्तांतरण कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य की समाप्ति के पश्चात नियमानुसार सम्बंधित प्रशासकीय विभाग को किया जायेगा। संबंधित प्रशासकीय विभाग द्वारा सृजित परिसम्पत्ति के रख-रखाव की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। इस हेतु त्वरित आर्थिक विकास योजना से धनराशि अनुमन्य नहीं होगी।
25. प्रश्नगत कार्यो के लिये नियमानुसार लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि उक्त धनराशि श्रम विभाग को भुगतान की जायेगी।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये रू. **4,96,99,000** (रूपये चार करोड़ छियानबे लाख निन्यानबे हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 040 **लेखाशीर्षक** 505404337030301 ग्रामीण क्षेत्रों में नयी सड़कों के लिए एकमुश्त व्यवस्था **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07 जून, 2022 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(डॉ0 संजीव भारद्वाज)
संयुक्त सचिव।

संख्या:508/2023/1195(1)/35-4-2023 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण/ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग ।
4- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त।
5- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
6- निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी।
7- मण्डलायुक्त, मेरठ/सहारनपुर मण्डल।
8- निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, लखनऊ।
9- मुख्य विकास अधिकारी, मेरठ/मुजफ्फर नगर।
10- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, मेरठ/मुजफ्फर नगर।
11- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
12- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, मेरठ/मुजफ्फर नगर।
13- अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, मेरठ/मुजफ्फर नगर ।
14- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डॉ0 संजीव भारद्वाज)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।